न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 39/2022 तारीख दायर :—28.06.2022 दिनांक निर्णय :—15.07.2022

UCMS No. :- 2022/36.

सरकार जरिये पटवारी हल्का धमरेड़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

कजोड पुत्र श्योदयाल जाति ब्राहमण निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का धमरेड़ द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल कजोड़ पुत्र श्योदयाल जाति ब्राहमण निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा वाके ग्राम धमरेड़ के गैर मुमकिन जोहड़ आ0ख0न0 687 रकबा 0.27 हे0 के भाग 0.02 है0 पर सम्वत 2079 में जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल की ओर से कजोड़ उपस्थित आया। गैरसायल की ओर से नोटिस जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा नोटिस जवाब में अतिक्रमण नहीं करने, यदि हो तो सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा लेने का कथन किया है जो संतोषजनक जवाब नहीं है। गैरसालय का गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण होना सिद्ध होता है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 28.06.2022 के अनुसार गैरसायल द्वारा जोत लगाकर गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण किया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल कजोड़ पुत्र श्योदयाल जाति ब्राहमण निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर काबिल बेदखली है। गैरसायल के विरूद्व शरह लगान की 1.00 की 50 गुणा में राशि 50.00/—रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक को निर्देश दिये जाते है कि अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा व पटवारी हल्का धमरेड़ को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 15.07.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 05 पर सि.च.पे. 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

(गिर्राज प्रसाद मीना)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)